भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1407

04.12.2024 को उत्तर देने के लिए

उज्जैन में विकास परियोजनाएं

1407. श्री अनिल फिरोजियाः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार उज्जैन में चल रही विकास परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने के लिए कोई डिजिटल निगरानी प्रणाली है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उज्जैन में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की निगरानी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या उक्त योजनाओं के प्रभाव और परिणामों को मापने के लिए सांख्यिकी आधारित रिपोर्टिंग का कोई प्रावधान है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) से (घ) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का संचालन करता है, जो माननीय संसद सदस्यों (एमपी) को स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं के अनुसार स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर देते हुए विकासात्मक कार्यों की संस्तुतियो करने में सक्षम बनाता है।

विकास परियोजनाओं का समय से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, एमपीलैड्स दिशानिर्देश , 2023 में उल्लिखित प्रावधान हैं:

i संसद सदस्य द्वारा की गई सभी पात्र अनुशंसाओं के संबंध में स्वीकृति/अस्वीकृति कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा अनुशंसाओं की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर जारी की जाएगी। [एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 के पैरा 3.2.4]

ii कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा जारी स्वीकृति पत्र में कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की जाएगी, जो सामान्यतः एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। असाधारण मामलों में, उदाहरण के लिए दुर्गम / पहाड़ी इलाकों आदि में, जहां कार्यान्वयन समय एक वर्ष से अधिक होने की संभावना है, इसके लिए विशिष्ट औचित्य को स्वीकृति पत्र में शामिल किया जाएगा। स्वीकृति पत्र की एक प्रति संबंधित संसद सदस्य को भी भेजी जाएगी। [एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 के पैरा 3.2.12]

एमपीलैड्स विभाग ने एमपीलैड्स के अंतर्गत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया को लागू करने के लिए एक वेब समाधान ई-साक्षी विकसित किया है जो एक आईटी प्लेटफॉर्म पर संचालित होता है। ई-साक्षी संसद सदस्यों, केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों, जिला अधिकारियों सहित सभी हितधारकों को वास्तविक समय के आधार पर (अस्वीकृत/स्वीकृत/चल रहे/पूर्ण) की स्थिति की निगरानी करने की अनुमति देता है, जो एमपीलैड्स के अंतर्गत परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करता है और प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही भी लाता है। इसके अतिरिक्त, एमपीलैड्स योजना के प्रभाव और परिणामों को मापने के लिए समय-समय पर तीसरे पक्ष से मूल्यांकन कराया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को अधिदेश है कि वह इस मंत्रालय की ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) पर संबंधित मंत्रालयों/परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर 150 करोड़ रु. और उससे अधिक लागत वाली जारी केंद्रीय अवसंरचना क्षेत्र परियोजनाओं की समय और लागत वृद्धि की निगरानी करें। दिनांक 01/11/2024 तक, इस मंत्रालय की निगरानी में कुल 1747 परियोजनाएँ हैं, जिनमें उज्जैन की 2 परियोजनाएँ भी शामिल हैं। इन परियोजनाओं का विवरण www.cspm.gov.in पर उपलब्ध है।

परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा प्रगति के अंतर्गत परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा; सशक्त परियोजना मूल्यांकन; बेहतर निगरानी के लिए ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस); मंत्रालयों में संशोधित लागत समितियों की स्थापना; संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा बुनियादी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की नियमित समीक्षा; तथा प्रमुख परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने और बाधाओं को दूर करने के लिए संबंधित मुख्य सचिवों के अधीन राज्यों में केंद्रीय क्षेत्र परियोजना समन्वय समितियों (सीएसपीसीसी) की स्थापना के लिए कदम उठाए जा रहे है।

******